प्ररूप सं. 3गङ

[नियम 6छक *देखिए*]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 44घक की उपधारा (2) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट

1. मैंने/हमने तारीख 31 मार्च.....को समाप्त हुए वर्ष के दौरान भारत में वृत्ति के स्थायी स्थापन/निश्चित स्थान के कारबार से संबंधित .....

[अनिवासी का नाम और पता [1][स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक]

के लेखाओं और अभिलेखों की जांच की है।

2. मैंने/हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार संपरीक्षा के प्रयोजनों के लिए तथा निर्धारिती द्वारा स्वामिस्व/तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के रूप में उपार्जित आय की रकम को अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

3. मैं/हम यह प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि वह अधिकार या संपत्ति या संविदा, जिसकी बाबत स्वामिस्व/तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का संदाय किया जाता है, प्रभावी रूप से भारत में वृत्ति के स्थायी स्थापन/निश्चित स्थान से संबंधित है।

4. मैं/हम यह प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 44घक के अधीन स्वामिस्व/तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के रूप में आय निर्धारण वर्ष.....के लिए.....रुपए की है।

स्वामिस्व/तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के रूप में आय से संबंधित जानकारी इस प्ररूप के उपाबंध में दी गई है। मेरी/हमारी राय में और मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा मुझे/हमें दी गई जानकारी के अनुसार ऊपर दी गई विशिष्टियां सत्य और सही हैं।

.....

हस्ताक्षरित अकाउंटेंट

टिप्पण :

1. जो लागू न हो उसे काट दें।

2. यह रिपोर्ट निम्नलिखित व्यक्ति द्वारा दी जानी है

(*i*) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थांतर्गत किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा; या

(*ii*) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो किसी राज्य के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 226 की उपधारा (2) के उपबंधों के आधार पर उस राज्य में रजिस्ट्रीकृत कंपनियों में संपरीक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने का हकदार है।

---

1. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से "स्थायी खाता संख्यांक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3. "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस", "स्वामिस्व" और "स्थायी स्थापन" पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 44घक के स्पष्टीकरण में दिए गए हैं।

4. जहां इस रिपोर्ट में कथित किसी विषय का उत्तर नहीं में अथवा सशर्त दिया गया है, वहां इस रिपोर्ट में उसके कारणों का उल्लेख होगा।

उपाबंध

[प्ररूप सं॰ 3गङ का पैरा 3 *देखिए*]

स्वामिस्व या तकनीकी सेवाओं की फीस के रूप में आय से संबंधित ब्यौरे

भाग क

1. अनिवासी निर्धारिती का नाम	:	.....
2. भारत में वृत्ति के स्थायी स्थापन/निश्चित स्थान का पता	:	.....
3. [1][स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक]	:	.....
4. निर्धारण वर्ष	:	.....
5. प्रास्थिति	:	.....

भाग ख

6. कारबार या वृत्ति की प्रकृति

7. (*क*) क्या लेखा बहियों को धारा 44कक के अधीन विहित किया गया है, यदि हां तो इस प्रकार विहित की गई बहियों की सूची दें।

   (*ख*) रखी गई लेखा बहियां।

   (लेखा बहियां कम्प्यूटर प्रणाली में रखे जाने की दशा में, ऐसी कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा सृजित लेखा बहियों का उल्लेख करें।)

---

1. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 16.9.2019 से "स्थायी खाता संख्यांक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(*ग*) ऐसी लेखा बहियों की सूची जिनकी जांच की गई है।

8. (*क*) पूर्ववर्ष में अपनाई गई लेखा पद्धति।

(*ख*) क्या अपनाई गई लेखा पद्धति में पूर्व वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में अपनाई गई लेखा पद्धति की तुलना में कोई परिवर्तन किया गया है। : हां...../नहीं .....

(*ग*) यदि कोई ऊपर (*ख*) का उत्तर हां में है तो ऐसे परिवर्तन के ब्यौरे दें और उसके लाभ हानि पर पड़े प्रभाव का उल्लेख करें।

भाग ग

9. भारत सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए करार की तारीख (करार की प्रति संलग्न करें)।

10. अमूर्त संपत्ति के जैसे कि तकनीकी ज्ञान, प्रतिलिप्याधिकार, पेटेंट आदि जिसके प्रयोग की बाबत अथवा उस संविदा के ब्यौरे जिसकी बाबत स्वामिस्व/तकनीकी सेवाओं के लिए फीस संदेय है।

11. (*क*) दाता का नाम और पता

(*ख*) क्या यह एक सहयुक्त समुत्थान है : हां...../नहीं .....

12. (*क*) क्या स्वामिस्व/तकनीकी सेवाओं के लिए फीस एकमुश्त संदेय है या अन्य आधार पर संदेय है।

(*ख*) रेट, राशि आदि सहित ब्यौरे।

13. भारत में वृत्ति के स्थायी स्थापन/निश्चित स्थान के कार्यकलाप के ब्यौरे।

14. भारत में वृत्ति के स्थायी स्थापन/निश्चित स्थान के साथ स्वामिस्व/तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की बाबत अधिकार, संपत्ति या संविदा के संबंध की प्रकृति।

15. उस व्यय या मोक के ब्यौरे जो भारत में वृत्ति के स्थायी स्थापन/निश्चित स्थान के कारबार के लिए पूर्णतया और अनन्य रूप से उपगत नहीं किया गया है।

16. मुख्यालय के खर्च या मोक के शीर्षवार ब्यौरे जो भारत में वृत्ति के स्थायी स्थापन/निश्चित स्थान को आबंटित किए जा सकते हैं।

17. भारत में वृत्ति के स्थायी स्थापन/निश्चित स्थान द्वारा किए गए वास्तविक खर्च की मुख्यालय या उसके किसी अन्य कार्यालय को की गई प्रतिपूर्ति के ब्यौरे।

.....

हस्ताक्षरित

अकाउंटेंट